

(1)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 65 / 15 एवं 123 / 2015

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 65 / 15

संस्थापन दिनांक-17 / 03 / 2015

फाइलिंग नं-230303002712015

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाह, 34 साल
निवासी चन्द नगर कोटेश्वर रोड ग्वालियर म0प्र0

—पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक / निगरानीकर्ता

वि रू द्ध

श्रीमती पायल पुत्री गोविंदसिंह
पत्नी धर्मेन्द्र सिंह, आयु 28 साल निवासी
संकट मोचन नगर, मुरार ग्वालियर कथित
निवासी वार्ड नं.-13, गोहद गोहदी गेट परगना
गोहद जिला भिण्ड

-----प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदिका

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-13 / 12 मु.फौ. श्रीमती पायल वि. धर्मेन्द्र
सिंह में पारित आदेश दिनांक 04 / 03 / 2015 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

ए वं

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 123 / 15

संस्थापन दिनांक-09 / 04 / 2015

फाइलिंग नं-230303003992015

श्रीमती पायल पुत्री गोविंदसिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह,
आयु 28 साल निवासी जाति कुशवाह निवासी
चन्द्रनगर कोटेश्वर रोड ग्वालियर म0प्र0 हाल
निवासी गोहदी गेट वार्ड नंबर-13 थाना गोहद
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक / निगरानीकर्ता

वि रू द्ध

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह कुशवाह, 34 साल
जाति कुशवाह निवासी चन्द नगर कोटेश्वर रोड
ग्वालियर म0प्र0

-----प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदिका

न्यायालय—श्री एस0के0 तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद जिला—भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—13/12 मु. फौ. श्रीमती पायल वि. धर्मेन्द्र सिंह में पारित आदेश दिनांक 04/03/2015 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

—:— आ दे श —:—

(आज दिनांक **13.04.2016** को पारित किया गया)

1. श्री एस0के0 तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के विविध प्रकरण क्रमांक—13/12 मु.फौ. श्रीमती पायल वि. धर्मेन्द्र में पारित आदेश दिनांक 04/03/2015 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता/अनावेदक ने उक्त दोनों पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रतिपुनरीक्षण/अनावेदिका श्रीमती पायल की ओर से प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन पत्र धारा—125 जा0फौ0 स्वीकार करते हुए 1500/—रूपये प्रतिमाह याचिकाकर्ता/अनावेदक धर्मेन्द्र से दिलाये जाने का आदेश दिया गया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अनावेदिका श्रीमती पायल आवेदक धर्मेन्द्र की पत्नी हैं, जिनका विवाह हिन्दू रीति रिवाज से दि0—19/04/2007 को संपन्न हुआ था । यह निर्विवादित है कि वर्तमान में आवेदिका अनावेदक से मूल आवेदन प्रस्तुति के पूर्व से ही पृथक रह रही है। यह भी निर्विवादित है कि आवेदिका की रिपोर्ट पर से अनावेदक और उसके परिजनों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का आपराधिक मामला विचाराधीन है। तथा अनावेदक की ओर से विवाह विच्छेद की आज्ञा हेतु कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में भी कार्यवाही संचालित कर रखी है।
3. निगरानी प्रकरण क्रमांक—65/2015 एवं 123/2015 एक ही आलोच्य आदेश से व्यथित होकर पेश की गयी हैं, इसलिये सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों निगरानी प्रकरणों का एक साथ समेकित करते हुए निराकरण किया जा रहा है ।
4. प्रकरण में आवेदिका/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता श्रीमती पायल के आवेदनपत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका विवाह अनावेदक के साथ दि0—19/04/2007 को हिन्दू रीति रिवाज से गोहद में संपन्न हुआ था । आवेदिका के नाना नानी ने अपनी सामर्थ्य से करीब 04 लाख रुपये का उसके

शादी में दान दहेज में अनावेदक को दिये थे, जिसमें नगदी, सोने चांदी के जेवरात, घर गृहस्थी का सामान आदि शामिल था। आवेदिका विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची तो उसके ससुराले पति धर्मेन्द्र, ससुर प्रीतम, सास विमला, देवर राकेश, फुफआ सास रति, ननद किरन ने मिलकर कहा कि दहेज में कार नहीं दी है और पचास हजार रुपये कम दिये हैं और ससुरालवाले आवेदिका की मारपीट कर दहेज के लिए परेशान करते आ रहे हैं। आवेदिका के नाना नानी ने कई बार समझाया लेकिन वह नहीं माने।

5. दि0-14/12/2008 को आवेदिका का सारा सामान छीनकर उसके नाना नानी के घर छोड़ गये और कहा कि कार एवं पचास हजार रुपये लेकर आना। तब से आवेदिका अपने नाना नानी के साथ निवासरत है। आवेदिका का पति शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर दददा श्री मैरिज हाउस सुभाष तिराहा ग्वालियर रोड भिण्ड में मैनेजर के पद पर कार्यरत होकर करीब 15,000/- प्रतिमाह कमाता है, इसके बाद भी उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है। आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है इसलिये उसे अनावेदक से पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया है।

6. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका अपने माता पिता के घर मुरार ग्वालियर में निवास करती है, वहीं से उसकी शादी हुई थी और शादी में चार लाख रुपये का लेनदेन नहीं हुआ था। शादी के बाद अनावेदक व उसके घरवालों ने दहेज में कार एवं पचास हजार रुपये की मांग कभी नहीं की, न ही मारपीट की गयी और न ही आवेदिका को परेशान किया गया। आवेदिका, अनावेदक का घर छोड़कर अपने मामा राजयोगेन्द्र के बहकावे में आकर मय जेवर व सामान के चली गयी है। अनावेदक द्वारा कई बार उसे लाने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं आयी। अनावेदक बेरोजगार है, आय का कोई साधन नहीं है, इसलिये आवेदिका उससे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है।

7. अतिरिक्त आपत्ति लेते हुए अनावेदक का कहना है कि आवेदिका कुछ समय तो उसके घर ठीक से रही, इसके बाद आत्महत्या करने की धौंस देने लगी और रुठकर 2-2, 3-3 दिन तक सोते रहना, खाना नहीं खाना का कृत्य करती रही। आवेदिका के मामा तांत्रिक है और तंत्र की पूजा करते हैं। जिन्होंने उसको

गलत सीख दी कि अपने पति व पति के परिवार को अपने दवाब में रखने के लिए अपने मासिक धर्म के गंदे कपड़े जलाकर उनकी राख बनाकर आवेदक व उसके परिवार के लोगों को खाना में मिलाकर खिलाया गया, उक्त कृत्य अनावेदक ने अपनी आंखों से देखा । जिसकी जानकारी आवेदिका के घरवालों को भी दी गयी । वर्ष 2008 में आवेदिका ने गर्भ धारण किया लेकिन आवेदिका के मामा राज योगेन्द्र मकर संक्रान्ति के बहाने उसे ले गये और अनावेदक के परिवार की इच्छा के बिना उसका गर्भपात करा दिया । आवेदिका द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है । उपरोक्त आधार पर आवेदिका भरण पोषण का हकदार नहीं होते हुए उसकी ओर से प्रस्तुत भरण पोषण आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

8. निगरानी प्रकरण क्र0-65/2015 में याचिकाकर्ता/अनावेदक धर्मेन्द्र के द्वारा लिये गये निगरानी के आधार सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेश की कंडिका 9 से 15 में जो कथन साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण की टाईप शपथपत्र में दिये हैं उन्हीं का उल्लेख किया है, जबकि कालीचरण साक्षी का मुख्य परीक्षण पेश है, जिसपर प्रतिपरीक्षण न्यायालय में नहीं हुआ है इसलिये वह शपथपत्र पढ़े जाने योग्य नहीं है। पायल अपने मामा राजयोगेन्द्र के यहां आकर ग्वालियर से गोहद आ गयी थी तब निगरानीकर्ता आवेदक ने थाना पडाव एवं महिला थाना ग्वालियर में सुलह वार्ता एवं पायल से साथ रखने का आवेदन दिया था जिसे पेश किया जाना साक्षी क्र0-3 पायल के पिता गोविंद सिंह ने स्वीकार किया है और दौरान सुलहवार्ता आवेदिका पायल ने गलत रूप से दहेज का अपराध एवं अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया है । जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता पायल को अपने साथ रखना चाहता है, पायल बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने मामा राजयोगेन्द्रसिंह के प्रभाव में अलग रहने लगी है इसलिये भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं रहती है, ऐसा विधि का सिद्धांत है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित करने में विधि की भूल की है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की कंडिका 20 में निगरानीकर्ता/अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को केवल लिख लिया है, उसे अमान्य करने का कोई कारण नहीं लिखा है, जो कि लिखा जाना चाहिये, जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है । विद्वान अधीनस्थ

न्यायालय ने भरण पोषण राशि देने में एक ही आधार लिया है कि अनावेदक धर्मेन्द्र शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है और निरक्षक होकर बीमार भी नहीं है । उक्त बात महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि महत्वपूर्ण यह है कि क्या विधि अनुसार पत्नी बिना किसी युक्ति युक्त कारण के पति से अलग रहती है और पति द्वारा साथ रखने के पूर्ण प्रयत्न किए गये हैं और पति पत्नी के अलग होने का सही कारण होना चाहिये जो कि इस प्रकरण में नहीं है। अनावेदक/याचिकाकर्ता की ओर से सक्षम न्यायालय के समक्ष जो न्याय दृष्टि पेश किया है उन्हें मान्यता न देकर मनमाने तौर पर 1500/-रुपये भरण पोषण राशि अनावेदक धर्मेन्द्र से आवेदिका पायल पत्नी को जो दिलाये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि विधि अनुकूल नहीं है, जिसे निरस्त करते हुए प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए उक्त आलोच्य आदेश को अपास्त किए जाने का निवेदन किया ।

9. निगरानी प्रकरण क्र०-123/2015 में याचिकाकर्ता/आवेदिका पायल के द्वारा लिये गये निगरानी के आधार सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 1500 रुपये भरण पोषण राशि स्वीकार की है, जो कि बहुत कम है, आवेदिका पर जो भी आरोप लगाये हैं, वह कतई सिद्ध नहीं है, आवेदिका ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया है कि वह बिना शर्त अपने पति अनावेदक के साथ रहना चाहती है । जबकि अनावेदक उसको साथ रखने को तैयार नहीं है । आवेदिका को प्रदाय 1500 रुपये गुजारा भत्ता बहुत ही कम है । आवेदिका 5000 रुपये गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है । अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए पारित आदेश दि०-4/3/2015 में आवेदिका को 5000/- रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

10. यह पुनरीक्षण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की औचित्यता के संबंध में देखा जाना है कि उसमें कोई विधिक त्रुटि की गयी है अथवा नहीं ।

11. अतः इस पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु विचारणीय यह है कि—

1. “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित दि०-04/03/2015 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”
2. क्या आवेदिका के भरण पोषण भत्ते में वृद्धि की जाना न्यायसंगत और उचित

होगा। ?

--:- निष्कर्ष के आधार --:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निराकरण

उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।

नोट:- उक्त मामले में अनावेदक धर्मेन्द्र की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 1500/- रुपये मासिक भरण पोषण के आदेश को अपास्त किये जाने के संबंध में दाण्डिक पुनरीक्षण की गई है जबकि आवेदिका श्रीमती पायल की ओर से उसी आदेश को चुनौती देते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कम राशि भरणपोषण की दिलाये जाने का आक्षेप करते हुए पांच हजार रुपये मासिक भरणपोषण दिलाये जाने की सहायता चाही गई है। इसलिये प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से पुनरीक्षणकर्ता श्रीमती पायल को आवेदिका के रूप में और धर्मेन्द्र को अनावेदक के रूप में संबोधित करते हुए निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। ताकि भ्रमपूर्ण स्थिति न रहे। तथा प्रकरण में आ0सा0-3 कालीचरण का मुख्य परीक्षण ही पेश हुआ है किन्तु उस पर प्रतिपरीक्षण नहीं होने से उसे विश्लेषण में नहीं लिया जा रहा है व आवेदिका साक्षी गोविंदसिंह को आ0सा0-3 के रूप में विश्लेषण में लिया जा रहा है।

12. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने तर्कों में मूलतः यह बताया गया है कि आवेदिका का विवाह हिन्दू रीति रिवाज अनुसार गोहद में उसके नाना नानी के यहाँ से हुआ था। वहीं वह पली बड़ी है। उसके विवाह में उसके नाना नानी द्वारा अपनी क्षमता से अधिक दान दहेज दिया गया था। विवाह पश्चात अनावेदक और उसके परिजन आवेदिका का दहेज में विवाह में कार और पचास हजार रुपये कम दिये जाने को लेकर प्रताड़ित करते रहे। तथा मारपीट कर दहेज के लिये धमकाते रहे। अनेक बार समझाईश पर भी कोई सुधार नहीं हुआ और आवेदिका को जेवर, कपड़े आदि छीनकर दिनांक 14.12.08 को घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह अपने नाना नानी के यहाँ रह रही है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। जबकि अनावेदक उच्च शिक्षित होकर प्राईवेट कंपनी में मैनेजर है। और

पन्द्रह हजार रुपये मासिक कमाता है तथा उसने त्याग कर दिया है। कोई भरण पोषण सक्षम होते हुए भी नहीं करता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने महंगाई के जमाने में केवल 1500/-रुपये दिलाये हैं जो अपर्याप्त हैं। वह भी अनावेदक द्वारा आज तक नहीं दिये गये हैं इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर पांच हजार रुपये मासिक भरण पोषण राशि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अनावेदक की पुनरीक्षण याचिका को अपास्त करते हुए दिलाये जावें।

13. अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खण्डन करते हुए मूलतः यह तर्क किया गया है कि अनावेदक का आवेदक से विवाह गोहद में न होकर मुरार ग्वालियर में हुआ था और कोई दान दहेज व लेनदेन नहीं हुआ। सामान्य रूप राजीखुशी से विवाह हुआ था। उन्होंने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। सारे आरोपी मनगढन्त व झूठे हैं। यह भी कहा है कि आवेदिका का मामा राजयोगेन्द्र तांत्रिक है और वह तंत्र मंत्र करता है। दो बार आवेदिका का गर्भपात भी उसके द्वारा कराया गया है। आवेदिका अपने नाना और मामा के बहकावे में है। उनके यहाँ रहने के दौरान वह पत्नी धर्म नहीं निभाती थी। कई बार वह दो दो तीन तीन दिन तक खाना नहीं खाती थी। आत्महत्या की धमकी देती थी। कई बार कोशिश भी की और नवंबर 2008 में उसका मामा राजयोगेन्द्र सावन के समय लिवाकर ले गया था और गर्भपात करा दिया। उसके पहले जनवरी-2008 में भी गर्भपात करा दिया था। आवेदिका संपूर्ण जेवरात लेकर चली गई है। साथ रहने को तैयार नहीं है। अनेक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं रह रही है और उसने स्वयं परित्याग किया है। इसलिये भरण पोषण की हकदार नहीं है। उसके संबंध में परिवार परामर्श केन्द्र ग्वालियर में भी कार्यवाही की गई थी। बल्कि नाना, मामा के बहकावे में आकर दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला भी उन्हें प्रताड़ित करने के लिये लगा दिया है।

14. यह भी तर्क किया गया है कि अनावेदक प्राइवेट नौकरी करता था। लेकिन दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा देने से उसे जेल जाना पड़ा जिस कारण उसकी नौकरी छूट गई वह बेरोजगार हो गया है। उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका ससुराल में रहने के दौरान दैनिक कार्य भी नहीं करती थी और झूठा कार्यवाहियों की गई हैं इसलिये भरण पोषण की हकदार नहीं है। व अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश एवं आवेदिका की पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जावे।

15. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं

के संबंध में किये गये तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष की ओरसे प्रस्तुत साक्ष्य का भी अध्ययन किया गया। अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का भी अध्ययन किया गया। आवेदिका की ओर से मूल आवेदन पत्र धारा-125 दप्रसं के अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.02.09 को पेश किया गया था और पांच हजार रुपये मासिक भरण पोषण की मांग की गई थी जिसमें दहेज के लिये प्रताड़ित करने और घर से प्रताड़ित कर भगा देने का आक्षेप किया गया। अनावेदक की ओर से जवाब में स्वयं आवेदिका द्वारा परित्याग करने और पत्नी धर्म का पालन न करने एवं कूरता करने के आधार लेते हुए खण्डन किया है। विवाह स्थल को भी चुनौती दी गई है। जो साक्ष्य पेश हुई है उसमें आवेदिका की ओर से स्वयं के अलावा उसके नाना रामसिंह तथा पिता गोविन्दसिंह के कथन कराये गये हैं। अनावेदक की ओर से स्वयं के अलावा अनावेदक के पिता प्रीतमसिंह एवं उनके यहाँ पुताई का काम करते रहे भगवानसिंह का कथन कराया है।

16. धारा-125 दप्रसं 1973 का उपबंध एक कल्याणकारी उपबंध है और उसके संबंध में मूलतः यह देखा जाता है कि क्या आवेदिका द्वारा जो भरण पोषण की मांग की गई है उसका युक्तियुक्त व पर्याप्त हेतुक है या नहीं। जिस दृष्टि से यह विश्लेषित करना होता है कि क्या आवेदिका को किसी भी तरह से प्रताड़ित या परित्याग किया गया है? क्या उसके पास आय का कोई स्रोत है या नहीं? और उसकी दैनिक आवश्यकताएँ क्या हैं? जीवनयापन का स्तर कैसा है? साथ ही साथ यह भी मूल्यांकित करना होता है कि अनावेदक पति की आय के क्या स्रोत हैं? क्या आवेदिका ने स्वयं परित्याग किया और घर छोड़ा तथा अनावेदक पर क्या उत्तरदायित्व है? चूंकि उक्त प्रावधान एक कल्याणकारी प्रावधान है इसलिये उक्त प्रावधान के संबंध में सिविल न्यायालय की तरह अभिवचनों को दृढ़ता से प्रमाणित करने का भार नहीं होता है। सार रूप में ही प्रकरण देखा जाता है। हस्तगत मामले में आवेदिका ने अनावेदक द्वारा कूरता और प्रताड़ित करते हुए घर से भगाकर परित्याग करना बताया है जिसका अनावेदक खण्डन करता है।

17. सर्वप्रथम शादी कहाँ हुई? कहाँ आवेदन किया जा सकता है? इस तथ्य को देखा जाये तो धारा-125 दप्रसं के अंतर्गत तीन स्थानों पर कार्यवाही की जा सकती है जिसके अंतर्गत जहाँ आवेदिका व अनावेदक का विवाह हुआ हो, जहाँ

आवेदिका और अनावेदक निवासरत हों वहाँ भी कार्यवाही की जा सकती है। तथा जहाँ अंतिम बार दोनों साथ साथ रहे हों वहाँ भी किया जा सकता है। आवेदिका ने आवेदन प्रस्तुति के समय निवास अपने नाना के यहाँ गोहदी गेट गोहद वार्ड नंबर-13 का बताया है। हालांकि उसके माता पिता मुरार ग्वालियर में निवास करते हैं। अनावेदक भी चंदन नगर कोटेश्वर रोड़ ग्वालियर में निवासरत है।

18. विवाह के संबंध में अभिलेख पर केवल एक ही दस्तावेज प्र0पी0-1 के रूप में आवेदिका की ओर से विवाह की पत्रिका पेश की गई है जिसमें विवाह स्थल शासकीय उत्कृष्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय गोहद जिला भिण्ड में बताया गया है और उसका कोई खण्डन नहीं है। हालांकि अन्य दस्तावेज भी पेश करना बताये गये हैं किन्तु उन्हें साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है जिनमें बारात ठहरने की रसीद तथा विवाह के लिये लिये गये स्कूल शाला की विकास समिति की रसीद आदि बताई गई हैं। अनावेदक की ओर से आशीर्वाद समारोह के पत्रक को पेश किया है किन्तु साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराये गये हैं। इसलिये उन्हें अवलोकन में नहीं लिया जा सकता है। प्र0पी0-1 से और अभिलेख पर आई मौखिक साक्ष्य से आवेदिका और अनावेदिका का विवाह गोहद में ही होना स्थापित होता है। इसलिये अनावेदक का यह आधार कि मुरार ग्वालियर से हुआ, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और विवाह स्थल को ही चुनौती दिये जाने से अनावेदक का न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना परिलक्षित नहीं होता है।

19. आवेदिका श्रीमती पायल आ0सा0-1 ने गोहद में ही पढ़ाई करना, नाना नानी के पास रहना और वहीं से शादी होना बताया है जिसका समर्थन उसके नाना रामदास आ0सा0-2 के अलावा पिता गोविन्दसिंह आ0सा0-3 ने भी किया है। खण्डन में जो अनावेदक की साक्ष्य आई है उससे विवाह स्थल का खण्डन नहीं होता है। बल्कि अनावेदक के पिता प्रीतमसिंह अना0सा0-2 के द्वारा पैरा-8 में विवाह पत्रक के संबंध में की गई स्वीकारावृत्ति एवं अनावेदक साक्षियों के द्वारा यह कहना कि बारात किसी होटल या धर्मशाला में नहीं रुकी थी। उससे गोहद से शादी होना प्रमाणित है और आवेदक के गोहद में निवासरत होने से क्षेत्रीय

अधिकारिता के संबंध में अनावेदक की साक्ष्य निर्बल हो जाती है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

20. जहाँ तक मूल आवेदन के आक्षेपों का प्रश्न है, उभयपक्ष की साक्ष्य में दहेज प्रताड़ना संबंधी आपराधिक मामला विचाराधीन होने की स्थिति प्रकट होती है और यही आधार आवेदिका की ओर से भी लिया गया है। ऐसे में आवेदिका का अनावेदक का घर छोड़ने का युक्तियुक्त आधार है। बल्कि उसके द्वारा तो यहाँ तक कहा गया है कि अनावेदक और उसके परिजनों ने उसके जेवर कपड़े आदि छीनकर उसे दिनांक 14.12.08 को घर से निकाल दिया। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य या परिस्थितियाँ नहीं हैं जो यह साबित करती हों कि आवेदिका द्वारा अनावेदक का घर स्वयं की स्वेच्छया से त्यागा गया है बल्कि इस संबंध में जो साक्ष्य आई है उसमें अनावेदक के बजाय आवेदिका की साक्ष्य अधिक प्रबल है और अनावेदक साक्ष्य से आवेदिका को समर्थन प्राप्त होता है। क्योंकि स्वयं अनावेदक धर्मेन्द्र अना0सा0-1 ने पैरा-9 में प्रतिपरीक्षा के दौरान दिये गये इस सुझाव पर कि आवेदिका उसके साथ घर जाने को तैयार है क्या वह न्यायालय से साथ ले जा सकता है? इस पर अनावेदक ने इस आधार पर असहमति व्यक्त की कि वह उसे इसलिये नहीं ले जा सकता है कि वह अपने साथ कुछ भी हादसा कर सकती है।
21. अनावेदक के पिता प्रीतमसिंह अना0सा0-2 ने भी पैरा-10 में इस बिन्दु पर यही कहा है कि यदि धर्मेन्द्र रखना चाहे तो रख सकता है लेकिन वह अपनी तरफ से धर्मेन्द्र से नहीं कहेगा कि वह पायल को रख ले। क्योंकि वह नस काट लेती है, जहर की गोली खा लेती है, पंखे पर लटक जाती है जिससे वे फंस जायेंगे। किन्तु आत्महत्या के प्रयास के संबंध में अनावेदक की ओर से जो मौखिक साक्ष्य दी गई है उसके संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया है और प्रीतमसिंह ने यह कहा है कि धारा-498 ए की फाईल में लगे होंगे तथा विवाह विच्छेद की कार्यवाही भी की जाना कही गई है। ऐसे में यह बिन्दु कि आवेदिका के पास अनावेदक से पृथक् रहने के युक्तियुक्त और पर्याप्त हेतुक हैं, प्रमाणित हो जाता है और यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदिका ने स्वयं

अनावेदक का परित्याग किया है।

22. दहेज प्रताड़ना संबंधी मामला विचाराधीन होना बताया गया है अभी उसका निराकरण नहीं हुआ है इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका अर्थात् पत्नी ने बिना समुचित कारण के पति के साथ रहने से इन्कार किया है। इस कारण वह स्वयं दोषी है। इसलिये अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत **सिरिया बाई विरुद्ध श्रीराम 1994 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-201** लागू नहीं होगा। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर पत्नी को भरण पोषण की हकदार न होना माना था कि पति द्वारा क्रूरता और द्वितीय विवाह के अभिवचन किये गये थे और स्थापित नहीं थे। जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। द्वितीय विवाह का कोई बिन्दु प्रकरण में अर्न्तवर्लित भी नहीं है। इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत का अनावेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

23. इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **सायाबाई विरुद्ध गुल्लू 2001 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-194** से भी अनावेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि मामले में आवेदिका की ओर से साथ रहने से इन्कार नहीं किया गया है। बल्कि अनावेदक ने ही आवेदिका के आत्महत्या के प्रयासों के भय के आधार लेते हुए साथ रखने से इन्कार किया है। इसी प्रकार अनावेदकगण की ओरसे प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत **प्रकाश कुशवाह विरुद्ध श्रीमती पूजा 2014 भाग-2 जे0एल0जे0 पेज-189** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दहेज की मांग के कारण प्रताड़ना के अभिवाक के आधार पर भरणपोषण की मांग किये जाने के मामले में यह पाया था कि दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का अभिवाक विचाराधीन प्रक्रम पर उल्लेखित नहीं किया और पत्नी के बिना किसी समुचित कारण के पति के साथ रहने से इन्कार किये जाने के कारण उसे स्वयं दोषी मानते हुए भरण पोषण दिलाये जाने से इन्कार किया गया था। इसी प्रकार का मार्गदर्शन अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **रामप्रसाद विरुद्ध श्रीमती गीता मेहरा 2014 भाग-1 जे0एल0जे0 नोट-136** में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया

है। जबकि मामले की उत्पन्न परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखा जाये तो दहेज प्रताड़ना का जो आधार लिया गया है, उसके संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य भी दी है तथा धारा-498 ए भादवि का आपराधिक मामला विचाराधीन रहना भी स्वीकार किया गया है जिसमें अभी कोई निराकरण नहीं हुआ है। अनावेदक धर्मेन्द्र के द्वारा कण्डिका-9 में जो तथ्य बताये हैं उसे देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने पति से पृथक रह रही है।

24. आवेदिका श्रीमती पायल के द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ना के अलावा उसका स्त्री धन रखकर घर से भगा दिये जाने का भी आधार लिया गया है। तथा कोई भरण पोषण अनावेदक द्वारा न करना बताया गया है। जिसके संबंध में उसकी ओर से उसके नाना रामसिंह कुशवाह आ0सा0-2 तथा पिता गोविन्दसिंह आ0सा0-3 ने बताया है।

25. अनावेदक की ओर से जो खण्डन के आधार लिये गये हैं, उसमें एक आधार यह भी लिया गया है कि आवेदिका का मामा राजयोगेन्द्रसिंह तांत्रिक है और तंत्र विद्या करता रहता है जिसके बहकावे में आवेदिका है। किन्तु इस आधार का खण्डन स्वयं अनावेदक धर्मेन्द्र के कथन के पैरा-10 से होता है जिसमें उसने यह स्वीकारोक्ति की है कि उसने राजयोगेन्द्र को कोई तंत्र विद्या करते नहीं देखा है लेकिन वह यह कहता है कि राजयोगेन्द्र ने उसे बताया था कि इस तरह से किया करा। लेकिन किस तरह से किया करो, यह स्पष्ट नहीं किया है। उसके द्वारा दो बार आवेदिका का गर्भपात कराया जाना भी कहा गया है। किन्तु उसके संबंध में कोई चिकित्सीय या दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। ऐसे में इस तरह के आक्षेप भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में ही आयेंगे और उसका आचरण पृथक रहने का एक समुचित आधार भी हो सकता है। जहाँ तक अनावेदक पक्ष की ओर से लिये गये आधार एवं दी गई साक्ष्य में आवेदिका का कई बार आत्महत्या का प्रयास, नस काटकर जहर की गोली खाकर पंखे पर लटकने आदि का बताया है किन्तु उसके संबंध में कहीं कोई कार्यवाही की गई है या उसके संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही का प्रयास किया गया हो, ऐसा भी दर्शित नहीं होता है इसलिये इस तरह

के आधार मात्र बचाव के लिये ही लिया जाना मात्र परिलक्षित होते हैं।

26. अनावेदक की ओर से भगवानसिंह नामक व्यक्ति को अनावेदक क्र०-3 के रूप में पेश किया गया है जो इस आशय का साक्षी है कि वह अनावेदकगण के घर में 10-12 साल से पुताई का काम करता है इस कारण उसके यहाँ आता जाता है। लेकिन उसने भी कभी आवेदिका को फांसी लगाने की बात के बारे में ठोस साक्ष्य नहीं दी है। गर्भपात कब हुआ, कहाँ कराया, इसके बारे में भी उसे जानकारी नहीं है। लेकिन आवेदिका की रिपोर्ट पर से अनावेदक और उसके परिवार वालों पर दहेज का केस चलने की उसे अवश्य जानकारी है। रहवासी मकानों में पुताई आदि का कार्य वर्ष में एक ही बार आमतौर पर हिन्दू समाज के लोगों में दीपावली के समय ही होता है। ऐसे में उक्त साक्षीगण का अभिसाक्ष्य कतई भरोसे योग्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है अतः अनावेदक की साक्ष्य आवेदिका के बनस्पत निर्बल है।

27. जहाँ तक आवेदिका के अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होने का प्रश्न है, इस संबंध में आवेदिका की ओर से स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी गई है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और उसने अनावेदक के पास प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी होने से पन्द्रह हजार रुपये मासिक आय अर्जित करने की बात कही है। आ०सा०-2 व 3 के द्वारा भी ऐसी ही साक्ष्य दी गई है जिसके खण्डन में जो साक्ष्य अनावेदकगण की ओर से आई है उसमें अनावेदक और उसके पिता प्रीतमसिंह के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह तो स्वीकार किया गया है कि अनावेदक पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित है। जैसा कि प्रीतमसिंह अना०सा०-2 ने पैरा-11 में अनावेदक की शैक्षणिक योग्यता एम०कॉम एवं पी०जी०डी०सी०ए० बताते हुए यह कहा है कि उसका लड़का काफी पढ़ा लिखा है जो पांच सात हजार रुपये की नौकरी करता था। किन्तु धारा-498 ए भादवि के केस लग जाने पर जेल चले जाने से उसकी नौकरी छूट गई है। स्वयं अनावेदक धर्मेन्द्र ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बिन्दु पर कोई संतोषप्रद साक्ष्य नहीं दी है बल्कि यह कहा है कि वह प्राइवेट नौकरी करता था

और फौजदारी केस कायम हो जाने से उसकी नौकरी छूट गई है और वह बेरोजगार हो गया है। पैरा-3 में उसने यह भी कहा है कि उसने प्राइवेट कम्प्यूटर टाईप का काम करना प्रारंभ कर दिया है। उसके पिता प्रीतमसिंह अना0सा0-2 के द्वारा पैरा-11 में यह पूछे जाने पर कि पायल अर्थात् आवेदिका आप की सभी शर्तों को मानकर आपके साथ रहने को आज भी तैयार है तो साक्षी ने कहा कि मैं नहीं रखूंगा। मेरा पूरा मन गले तक भर गया है। इससे यही प्रकट होता है कि आवेदिका साथ में रहने को तैयार है किन्तु अनावेदक उसे साथ रखकर भरण पोषण करने को तैयार नहीं है।

28. एक ओर तो अनावेदक का यह आधार है कि आवेदिका स्वयं उसके घर से जेवरात लेकर नाना और मामा के बहकावे में आकर चली गई है और साथ रहने को तैयार नहीं है तथा दहेज का झूठा मामला दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी ओर विवाह विच्छेद की कार्यवाही भी उसकी तरफ से की जाना बताई गई है। जो दोनों एकसाथ संभव नहीं है। इससे भी अनावेदक का अपनी पत्नी के भरणपोषण के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही दर्शित होता है। जहाँ तक यह आधार लिया गया है कि ग्वालियर में परिवार परामर्श केन्द्र में सुलह समझौते की कार्यवाही चली और असफल रही जिससे संबंधित दस्तावेज पेश किये जाने बताये गये हैं। किन्तु उसके आधार पर आवेदिका का स्वच्छंदतापूर्वक अपने पति अनावेदक का स्वयं परित्याग किया जाना नहीं माना जा सकता है। अनावेदक द्वारा विचारण जारी रहने के दौरान कोई भरण पोषण की राशि भुगतान किये जाने का भी कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है इससे भी अनावेदक का भरण पोषण के प्रति उपेक्षापूर्ण आचरण ही प्रकट होता है।

29. अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे आवेदिका का स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ होना दर्शित होता हो। जबकि अनावेदक शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति है और धनोपार्जन की क्षमता रखता है तथा वह कम्प्यूटर का कार्य भी कर रहा है। हालांकि उसका किसी स्थाई नौकरी में होना या उसका कोई स्थाई आय का कोई निश्चित स्रोत नियमित रूप से होने का प्रमाण अभिलेख पर अवश्य नहीं

है किन्तु आवेदिका उसकी वैध विवाहिता पत्नी है और उसके भरण पोषण का उत्तरदायित्व अनावेदक पर ही है। पति होने के नाते यह सामाजिक और वैधानिक रूप से भी यह पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। उसको सुख दे जिसमें अनावेदक असफल रहना परिलक्षित होता है।

30. अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें आवेदिका श्रीमती पायल के द्वारा विद्या अध्ययन करना बताया गया है अर्थात् वह भी कुछ हद तक शिक्षित है। किन्तु उसे कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं है जिससे वह अपना भरण पोषण करने में समर्थ हो। बल्कि औषत रूप से शिक्षित होने से जीवनयापन का स्तर निम्न मध्यमवर्गीय श्रेणी का होना परिलक्षित होता है क्योंकि आवेदिका की साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि वह अपने नाना नानी के यहाँ रहकर पली बठी है वहीं उसी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं से विवाह हुआ। विवाह होने की पुष्टि उपर की जा चुकी है। उसके नाना रामसिंह हायरसेकेण्ड्री स्कूल से प्रिन्सीपल से सेवानिवृत्त हुए हैं जिससे भी जीवनयापन का स्तर निम्न मध्यमवर्गीय स्तर का होना स्पष्ट होता है। अनावेदक धर्मेन्द्र उच्च शिक्षित है, उसके पिता भी शासकीय सेवा में हैं इसलिये अनावेदक के जीवनयापन का स्तर भी निम्न मध्यमवर्गीय परिवार का है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डेढ़ हजार रुपये मासिक भरण पोषण भत्ता का जो आदेश किया गया है वह निश्चित रूप से वर्तमान युग में महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए अवश्य कम है और डेढ़ हजार रुपये में कैसे कोई निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्ति अपना स्वयं का भरण पोषण पृथक् रहकर कर सकता है। इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। इसलिये भरण पोषण की जो दर निर्धारित की है वह निश्चित रूप से कम है। अतः आवेदिका अनावेदक धर्मेन्द्र से ढाई हजार रुपये मासिक भरण पोषण राशि आदेश दिनांक से प्राप्त करने की अधिकारिणी होना पाई जाती है क्योंकि आवेदिका स्वयं भी कुछ काम करके कुछ आय अर्जित कर सकती है इसलिये ढाई हजार रुपये की राशि पर्याप्त होगी तथा चाहा गया पांच हजार रुपये मासिक भरण पोषण दिलाया जाना

(16)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 65 / 15 एवं 123 / 2015

उचित व न्यायसंगत नहीं होगा।

31. इस तरह से अनावेदक धर्मेन्द्र की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक-65/15 में लिये गये आधार विधिक बल नहीं रखते हैं इसलिये अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है। साथ ही आवेदिका श्रीमती पायल की ओर से प्रस्तुत की गई दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक-123/15 उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में और अनावेदक धर्मेन्द्र के विरुद्ध यह आदेश प्रसारित करते हुए की जाती है कि वह आवेदिका श्रीमती पायल का वैध पत्नी बने रहने तक आदेश दिनांक 13.04.16 से ढाई हजार रुपये मासिक भरण पोषण अदा करे। अवशेष भरण पोषण की राशि छः माह में समान किस्तों में अदा की जावे।

दिनांक **13.04.16**

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)